न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 74/2025/अपील/आर्म्स एक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 03.03.2025
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

अनिल जैन आत्मज श्री पदम कुमार जैन, जाति जैन, निवासी ग्राम तालेड़ा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दयाराम सैन, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 16/2018 बउनवान अनिल जैन बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः पुलिस अधीक्षक बून्दी से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा पुलिस अधीक्षक बून्दी से पत्रांक 6093 दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नया शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन/प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 04.04.2020 से निरस्त किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.04.2020 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर कथन किया कि कोटा सम्भाग के बूंदी जिले के गत वर्षों में आपराधिक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई है और जिसमें प्रमुख रूप से राहजनी, लूटपाट, अपहरण, नकबजनी एवं

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

डकैती प्रमुख है। कोटा सम्भाग में बढ़ रही उपरोक्त आपराधिक गतिविधियों से घबराकर दहशत में आकर प्रार्थी को भी भय लगने लगा है कि उसके द्वारा अपनी कृषि उपज को कोटा सम्भाग की विभिन्न अनाज मण्डियों में विक्रय करने जाना और प्राप्त धन को लेकर अपने घर आने में कभी भी कोई भी बड़ी आकस्मिक घटना घट सकती है और उसके साथ किसी भी प्रकार की वारदात हो सकती है और इसीलिये अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, बूंदी के यहां अपने स्वयं की कृषि उपज की एवं स्वयं की कीमती वस्तुओं की रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिये रिवोल्वर बंदूक का लाइसेन्स (अनुज्ञा–पत्र) जारी करने के लिये आवेदन किया। जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा तत्समय प्रस्तुत अनुज्ञा–पत्र आवेदन के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से आवश्यक वैधानिक रिपोर्ट चाही गई। जिसके क्रम पुलिस अधीक्षक, बूंदी ने दिनांक 19.03.2012 को जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के द्वारा चाही गई रिपोर्ट प्रेषित की, जो अपीलार्थी के पक्ष में थी तथा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या रिपोर्ट अपीलार्थी के विपक्ष में नही थी। किंतु जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में टालमटोल करते हुए कोई शस्त्र लाइसेन्स जारी नही किया गया। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी (राज०) के प्रेषिति पत्र क्रंमाक न्याय / 2019/7627 दिनांक 03.07.2019 के बिन्दु संख्या 3 में से यह अंकित किया हुआ है कि (1) अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 497/2014 अंतर्गत धारा 447, 427, 34 आई0पी0सी0 में थाना कुन्हाडी जिला कोटा में दर्ज होकर चार्ज शीट नम्बर 453 दिनांक 15.12.2014 कता कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर बरी किया गया। (2) मुकदमा नं0 514/2014 धारा 384,387 आई0पी0सी0 में दर्ज होकर चार्जशीट न0 485/24.12.2014 कता कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किया गया। (3) मुकदमा न0 269/2019 धारा 341, 323, 324, 427, 506 120बी आई0पी0सी0 दर्ज होकर चार्जशीट न0 233/30.08.2019 पेन्डिग हैं। उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर अनुसंधान करने के उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण लिप्त नही था, किन्तु अपीलार्थी को महज दुर्भावना व रंजिशवश मात्र झूठे व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज होने मात्र से ही शस्त्र अनुज्ञा दिये जाने की अनुशंसा नही की गयी है जबकि तदनुसार अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा–पत्र का लाइसेन्स जारी किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त रिपोर्ट के बाद बिना किसी प्रकार की गम्भीरता रखते हुए, बिना किसी विचार–विमर्श किये और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को निरस्त कर दिया, जो विधि के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व आर्म्स एक्ट व रूल्स के तहत न्यायोचित नहीं है। साथ ही अपीलार्थी को उसका आवेदन निरस्त करने की सूचना भी नही भिजवाई गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पुलिस

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधीक्षक बून्दी के द्वारा यह लिख देने से कि आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज थे, अपीलार्थी की अनुज्ञा–पत्र का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक था कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाता। अपीलार्थी एक समाज सेवक है तथा व्यवसाय से अधिवक्ता है, जिसको पक्षकार की पैरवी हेतु जयपुर उच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्चतम न्यायालय में आना जाना पड़ता है तथा पूर्व में पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर जोन में रेल मंत्रालय की ओर से सदस्य नियुक्त है इस कारण अपीलार्थी को सम्पूर्ण जबलपुर जोन में स्थित पश्चिम मध्य रेल्वे के प्लॅटफार्मो पर निरीक्षण करने हेतु रात्रि समय अकेले आना–जाना होता है। अपीलार्थी से कई लोग राजनैतिक द्वेषता भी रखते है, जिससे अपीलार्थी की जान–माल का हमेशा खतरा बना रहता है। इस कारण भी अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी अपनी कृषि उपज, अपनी सम्पत्ति और अपनी जान माल को हर समय गम्भीर जान का खतरा बना रहता है और उसे आत्मरक्षार्थ रिवोल्वर (बंदूक) की अत्यन्त आवश्यकता है और इसके लिये उसे अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त लाइसेन्स के अभाव में अपीलार्थी के साथ जब भी वह अपनी कृषि उपज को विक्रय करने के लिये बूंदी जिले में स्थित गृह निवास आयेगा तथा वापस प्रतिफल राशि लेकर जायेगा तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के साथ होने वाली किसी भी आकस्मिक घटना से रक्षा करना सम्भव नहीं होगा और यही नही उसकी खेतों में खड़ी फसल एवं जिन्स को भी चोरी डकैती से बचना सम्भव नही होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.04.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पुलिस अधीक्षक बून्दी के द्वारा यह लिख देने से कि आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज थे, अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक था कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाता। अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तथ्यों कि वह समाज सेवक है तथा व्यवसाय से अधिवक्ता है, जिसको पक्षकार की पैरवी हेतु जयपुर उच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्चतम न्यायालय में आना जाना पड़ता है तथा पूर्व में पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जोन में रेल मंत्रालय की ओर से सदस्य नियुक्त है इस कारण अपीलार्थी को सम्पूर्ण जबलपुर जोन में स्थित पश्चिम मध्य रेलवे के प्लॅटफार्मो पर निरीक्षण करने हेतु रात्रि समय अकेले आना–जाना होता है का भी परीक्षण किया जावे। अपीलार्थी से कई लोग राजनैतिक द्वेषता भी रखते है, जिससे अपीलार्थी की जान–माल का हमेशा खतरा बना रहता है। इस कारण भी अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी अपनी कृषि उपज, अपनी सम्पत्ति और अपनी जान माल को हर समय गम्भीर जान का खतरा बना रहता है और उसे आत्मरक्षार्थ रिवोल्वर (बंदूक) की अत्यन्त आवश्यकता है और इसके लिये उसे अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.04.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलार्थी के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा कोई अनुशंषा नहीं करने से आवेदन–पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 16/2018 बउनवान अनिल जैन बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः पुलिस अधीक्षक बून्दी से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा पुलिस अधीक्षक बून्दी से पत्रांक 6093 दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नया शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन/प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 04.04.2020 से निरस्त किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पुलिस अधीक्षक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

बून्दी के द्वारा यह लिख देने से कि आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज थे, अपीलार्थी की अनुज्ञा–पत्र का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक था कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाता। अपीलार्थी एक समाज सेवक है तथा व्यवसाय से अधिवक्ता है, जिसको पक्षकार की पैरवी हेतु जयपुर उच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्चतम न्यायालय में आना जाना पड़ता है तथा पूर्व में पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर जोन में रेल मंत्रालय की ओर से सदस्य नियुक्त है इस कारण अपीलार्थी को सम्पूर्ण जबलपुर जोन में स्थित पश्चिम मध्य रेल्वे के प्लॅटफार्मो पर निरीक्षण करने हेतु रात्रि समय अकेले आना–जाना होता है। इस कारण भी अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी अपनी कृषि उपज, अपनी सम्पत्ति और अपनी जान माल को हर समय गम्भीर जान का खतरा बना रहता है और उसे आत्मरक्षार्थ रिवोल्वर (बंदूक) की अत्यन्त आवश्यकता है और इसके लिये उसे अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 16/2018 बउनवान अनिल जैन बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्रांक 7627 दिनांक 03.07.2019 से पुलिस अधीक्षक, बून्दी को लिखा गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, बून्दी के पत्रांक 6093 दिनांक 23.09.2019 से 5 बिन्दुओं की रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार बिन्दु सं0 3 में अंकित किया गया कि "(1) मु0नं0 497/14 धारा 447, 427, 34 आई.पी.सी. में थाना कुन्हाडी जिला कोटा में दर्ज होकर चार्जशीट नं० 453/15.12.14 कता कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर बरी किया गया। (2) मु0नं0 514/14 धारा 384, 387 आई.पी.सी. में दर्ज होकर चार्जशीट नं० 485/24.12.14 कता कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सन्देह का लाभ दिया जाकर बरी किया गया। (3) मु0न0 269/19 धारा 341, 323, 324, 427, 506, 120बी आई.पी.सी. में दर्ज होकर चार्जशीट न0 233/30.08.19 पैण्डिग है"। साथ ही रिपोर्ट के बिन्दु सं0 5 अनुसार उक्त प्रकरणों के आधार पर तथा हथियार लाईसेंस दिये जाने का कोई उचित कारण नहीं पाया जाने से शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नहीं की गई। इस संबंध में अपीलार्थी का कथन रहा है कि आवेदन–पत्र दिनांक 24.11.2011 को प्रस्तुत करने पर तत्समय पुलिस अधीक्षक, बूंदी ने दिनांक 19.03.2012 को जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के द्वारा चाही गई रिपोर्ट प्रेषित की, जो अपीलार्थी के पक्ष में थी तथा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या रिपोर्ट अपीलार्थी के विपक्ष में नही थी। किंतु जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में रिपोर्ट होते हुए भी कोई शस्त्र लाइसेन्स जारी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

नही किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त कथन के संबंध में अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2011 के संबंध में पुलिस अधीक्षक बून्दी की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2012 अनुसार बिन्दु सं0 5 में अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा किया जाना अंकित किया गया है। इसके उपरांत पुनः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में पुनः वांछित रिपोर्ट चाही जाने पर पुलिस अधीक्षक, बून्दी के पत्रांक 6093 दिनांक 23.09.2019 से अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंषा नहीं की गई। चूंकि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 को आजदिनांक की स्थिति में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर तथा प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों/तर्कों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से अपीलार्थी को सुनवायी एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा कोटा